

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में दिनांक 30.08.2020 को थाना रामनगर पुलिस देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग में रामनगर चौक चौराहे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 0133/20 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त साईकिल पर तराजू रखकर बेंचने की फिराक में परोरवा की तरफ से पंचवटी की तरफ आ रहा है। जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास करके थाना रामनगर पुलिस मुखबिर को साथ लेकर पंचवटी तिराहे पर पहुँचे। थोड़ी देर में एक व्यक्ति साईकिल से आता हुआ दिखाई दिया जिसकी ओर मुखबिर इशारा कर वापस चला गया। उक्त व्यक्ति को थाना रामनगर पुलिस द्वारा समय करीब 13.25 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रोहित मिश्रा पुत्र स्व0 महेन्द्र मिश्रा निवासी पण्डित का पूरवा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष बताया जिसके पास से चोरी की साईकिल हीरो रेन्जर व स्टील के इलेक्ट्रानिक तराजू जो फास्ट ट्रेक कम्पनी का है, बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- रोहित मिश्रा पुत्र स्व0 महेन्द्र मिश्रा निवासी पण्डित का पूरवा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- साईकिल हीरो रेन्जर (लाल रंग)
- स्टील के इलेक्ट्रानिक तराजू फास्ट ट्रेक कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अरविन्द यादव, उ0नि0 अभिनव श्रीवास्तव, हे0का0 विनोद यादव व राहुल प्रथम थाना रामनगर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी



प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 30-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 23 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *297 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 516 वाहनों का चालान, 01 वाहन को सीज तथा 70 वाहनों से रु0-44,100/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 30-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1741 व्यक्तियों से रु0-1,21,050/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी।